

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 21/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958
उनवान

- 1-2 मदन, रतन पुत्र शोभा ढोली निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
3. सायरी पुत्री शोभा ढोली निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
4. सोहनी पत्नी शोभा ढोली निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा

वनाम

1. लादू पिता पन्ना जाट निवासी सूरतसिंह का खेड़ा तह0 शाहपुरा
- 2-3 लादू, रामा पिता भैरू भील निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
4. पन्ना पिता सरराम जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
5. सांवरा पिता मांगीलाल चमार निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
6. रामसुख पिता उदा भील निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
7. श्रवण पिता मांगू भील निवासी तस्वारिया खुर्द तह0 शाहपुरा
8. तहसीलदार शाहपुरा

- प्रार्थीगण

उपस्थिति :- श्री रामप्रसाद जाट
अधिवक्ता प्रार्थीगण

- विपक्षीगण

-:: निर्णय ::-

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 326 रकबा 1.86 कुल कित्ता 1 रकबा 1.86 है0 हैक्टैयर का प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। विपक्षीगण वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर वहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम तस्वारिया खुर्द संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तस्वारिया खुर्द में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 1 रकबा 1.86 है0 हैक्टैयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 350/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। वाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/09/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताविक आदेश की
मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा